झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–1022 वर्ष 2017

मो0 तनवीर, पे0 मो0 आशिक, निवासी ग्राम–भिकराजपुर, डाकघर एवं थाना–बलियारपुर, जिला–धनबाद .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य

2. पुलिस अधीक्षक, जिला–सरायकेला–खरसावां

3. डी0आई0जी0, कोल्हान डिवीजन, डाकघर एवं थाना–चाईबासा, जिला–सिंहभूम पश्चिम

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चन्द्रशेखर**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्रीमती अंजना कुमारी, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– श्री चंचल जैन, ए0जी0 का जे0सी0

श्री समीर सहाय, ए0जी0 का जे0सी0

06/06.09.2017 दिनांक 22.12.2012 के दंड आदेश और दिनांक 24.05.2016 के अपीलीय आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

2. अनावश्यक विवरणों के अभाव में यह दर्ज करने के लिए पर्याप्त है कि याचिकाकर्ता दिनांक 17.03.2012 से छुट्टी पर चला गया। उन्हें 22 मार्च, 2012 को ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना था, लेकिन वह विभाग को कोई सूचना दिए बिना अनुपस्थित रहे। दिनांक 22.12.2012 को उन्हें निलंबित कर दिया गया और एक विभागीय कार्यवाही शुरू की

गई। विभागीय कार्यवाही में उन्होनें भाग नहीं लिया और न ही दिनांक 30 नवम्बर, 2012 को जारी दूसरे कारण बताओं नोटिस का जवाब दिया। उन्हें दिनांक 22.12.2012 के आदेश द्वारा सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उन्होनें दलील दी कि वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में अपने एवं अपने पिता के उपचार और 2010 से अपनी मां की बीमारी के कारण वह अनुपस्थित रहे। इसके समर्थन में उन्होनें चिकित्सा पर्चाएं दिए। अपीलीय प्राधिकारी ने अभिनिर्धारित किया है कि 08 अक्टूबर, 2015 को याचिकाकर्ता द्वारा की गई अपील परिसीमा द्वारा वर्जित है।

3. झारखंड पुलिए मैनुअल के नियम 852 के तहत सजा के आदेश के खिलाफ अपील का प्रावधान वैधानिक है और आमतौर पर, एक वैधानिक अपील को परिसीमा के आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रूप से जब अपीलकर्ता ने विचारणीय मुद्दे उठाए हैं। हैरानी की बात यह है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को परिसीमा द्वारा वर्जित अभिनिर्धारित करते हुए, अपीलीय प्राधिकारी ने मामले के गुण–दोष पर ध्यान दिया है और इस आधार पर अपील को खारिज कर दिया है कि अपीलकर्ता संबंधित प्राधिकारी को अपने इलाज कराने के बारे में सूचित करने में विफल रहा है।

4. झारखंड पुलिस मैनुअल के नियम 852 के आदेश और याचिकाकर्ता द्वारा अपने अपील मेमो के साथ प्रस्तुत किए गए भारी–भरकम दस्तावेजों, जिनकी प्रतियां वर्तमान कार्यवाही में प्रस्तुत की गई हैं लेकिन प्रत्यर्थियों द्वारा इनकार नहीं किया गया है, को ध्यान में रखते हुए, 24.05.2016 के अपीलीय आदेश को रद्द कर दिया जाता है। याचिकाकर्ता को अपने बचाव के समर्थन में मौखिक या हलफनामे के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर

प्रदान करने के बाद, याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामला अपीलीय प्राधिकारी को वापस भेज दिया जाता है।

5. अपीलीय प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता को चार सप्ताह के भीतर साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी करके तीन महीने के भीतर निर्णय लिया जाए।

6. उपरोक्त शर्तों में रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।

(श्री चन्द्रशेखर, न्याया0)